05.08.2021 पत्रावली वादियां के जल्द सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री राजीव पाण्डे ने वकालतनामा पेश किया शामिल पत्रावली है। वकील वादियां श्री रामचन्द्र सिंह भाटी एडवोकेट ने निवेदन किया कि प्रकरण नाम दुरुस्ती का है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की सहमति है। साथ ही वकील वादियां ने निवेदन किया कि स्टेट के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद के संलग्न रिकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार फरमाया जावे।

वाद का अवलोकन किया। संलग्न रिपोर्ट पटवारी डबली मौलवी व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डबली वास मौलवी दिनांक 20/06/2018 अनुसार वादियां मंगेज कंवर, मघान कंवर एक ही महिला के नाम है। वादियां की जमीन जमाबंदी में मगन कंवर नाम दर्ज है जबकि आधार

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मंगेज कंवर दर्ज है। इसलिए प्रार्थियां का नाम उपरोक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड एवं प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर कृषि भूमि रिकार्ड में शुद्धिकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादियां का वाद स्वीकार किया जाता है, तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड कृषि भूमि वाके रोही ग्राम मोडिया केरवेत खसरा नं. 365, 366 एवं 434/358 में मगन कंवर बेवाह राम सिंह के स्थान पर मंगेज कंवर बेवाह राम सिंह शुद्धिकरण करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05/08/2021 को सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर	